-1-

45

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी R569-I-17

कमलेश कुमार आत्मज लखनलाल
निवासी– सा. देह, चौकीताल तहसील व
जिला जबलपुर (म.प्र.) ———आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 6/2/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0 प्र0 शासन ———अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता –1959 विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 04/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2012 से परिवेदित होकर।

सुशान्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम चौकीताल बन्दोबस्त नंबर 303 प0ह0न0 30 स्थित भूमि खसरा नंबर 107/2 (हाल नंबर 153) रकवा 0.923 हैक्टर एवं खसरा नंबर 104/1 रकवा 0.445 हैक्टर कुल रकवा 1.368 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज थी। आवेदक द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 प्रभावशाली होने से अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत माननीय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा न्यायालय जबलपुर के समक्ष विवरणी प्रस्तुत की गई थी विवरणी के आधार पर माननीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 539/अ–90 (ब–9)/1981–82 दर्ज किया जाकर, आवेदक के विरूद्ध जारी किये गये धारा–8(1) के ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट में 10688.45 वर्गमीटर भूमि अतिशेष धोषित किया जाना प्रस्तावित किया। तत्पश्चात् आवेदक के विरूद्ध धारा–9 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाकर, 12188.45 वर्गमीटर भूमि अंतिम रूप से अतिशेष धोषित कर म.प्र.शासन का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 569/1/2017 निगरानी **जिला जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 04/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम चौकीताल बन्दोबस्त नंबर 303 प0ह0न0 30 स्थित भूमि खसरा नंबर 107/2 (हाल नंबर 153) रकवा 0.923 हैक्टर एवं खसरा नंबर 104/1 रकवा 0.445 हैक्टर कुल रकवा 1.368 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्डे में आवेदक के नाम दर्ज थी। आवेदक ने सक्षम प्राधिकारी, जबलपुर के समक्ष विवरणी प्रस्तुत की जाने पर विवरणी के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 539/अ–90 (ब–9)/1981–82 दर्ज किया जाकर, आवेदक के विरूद्ध जारी किये गये धारा–8 (1) के ड्राफ्ट स्टेटमेंन्ट में 10688.45 वर्गमीटर भूमि को अतिशेष धोषित किया जाना प्रस्तावित किया। तत्पश्चात् आवेदक के विरूद्ध धारा–9 के अन्तर्गत आदेश पारित कर 12188.45 वर्गमीटर भूमि अंतिम रूप से अतिशेष धोषित कर म.प्र.शासन का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिवादित भूमि पर आवेदक का नाम खसरे में अंकित किये जाने का निवेदन किया। जिसे अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 04/बी–121/2011–12 दर्ज कर आदेश दिनांक 31–3–2012	

पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3/ निगरानी मेमो के तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया, प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि, भूमि खसरा नंबर 107/2 (हाल नंबर 153)रकवा 0.923 हैक्टर एवं खसरा नंबर 104/1 रकवा 0.445 हैक्टर कुल रकवा 1.368 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवरणी के आधार पर प्रकरण कमांक 539/अ–90 (ब–9)/1981–82 में पारित आदेश से आवेदक के स्वत्व की भूमि 12188.45 वर्गमीटर भूमि अंतिम रूप से अतिशेष धोषित कर म.प्र.शासन का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नजूल द्वारा विधिवत् पालन किये बगैर आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर 12188.45 वर्गमीटर भूमि में नगरीय अतिशेष भूमि म.प्र.शासन नजूल सरकार का नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में मूल अधिनियम की धारा 10 (5) का सूचना पत्र आवेदक पर विधिवत तामील नहीं हुआ है। तहसीलदार द्वारा कब्जा लेने की प्रकिया का पूर्ण पालन न करते हुए एकपक्षीय कब्जा लेना दर्शित है जिसके अंतर्गत आवश्यक स्थल पंचनामा नहीं बनाया गया मात्र राजस्व रिकार्ड से आवेदक का नाम विलोपित कर म.प्र.शासन का नाम अंकित किये जाने में अवैधानिकता की गयी है।

विचारणीय बिन्दु यह है कि, इस में बने प्रावधानों के अनुसार धारक को अतिशेष धोषित भूमि का मुआवजा धारा 10 (3) की अधिसूचना प्राकशित होने के एक वर्ष के भीतर देना अनिवार्य

है जो उसे अभी तक नहीं दिया गया है और ना ही ऐसी कोई कार्यवाही अभी वर्तमान में लम्बित है। इन सभी तथ्यों को अपर कलेक्टर द्वारा अनदेखा कर अवैधानिक आदेश पारित किया है। इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, सक्षम प्राधिकारी, जबलपुर के प्र0क0 539/अ–90 (ब–9)/1981–82 में पारित आदेश एवं अपर कलेक्टर, जबलपुर के प्र0क0 04/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2012 निरस्त किये जाते है। तथा तहसीदार को निर्देश दिये जाते है कि वह राजस्व अभिलेख में भूमि खसरा नंबर 107/2 (हाल नंबर 153) रकवा 0.923 हैक्टर एवं खसरा नंबर 104/1 रकवा 0.445 हैक्टर कुल रकवा 1.368 हैक्टर (12188.45 वर्गमीटर) भूमि पर म.प्र.शासन विलोपित किया जाकर, आवेदक का नाम पूर्व की भांति अंकित करें।

सदस्य